कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन कक्ष) मध्यप्रदेश, सतपुड़ा भवन, भोपाल

क्रमांक/निर्वतन/ 2034 भोपाल, दिनांक 3/6/2008

प्रति,

(नाम से) **समस्त वन संरक्षक (क्षेत्रीय)**

मध्यप्रदेश

विषयः– **शासकीय काष्ठागारोंमें नीलाम के समय उपस्थित रहने बाबत।**

संदर्भः– **प्र.मु.व.स. कार्यालय एवं इस कार्यालय का कमांक**

(1) कमांक/ निर्वतन काष्ठ/1071 दिनांक 24–3–2005

(2) कमांक/ उत्पादन काष्ठ /निर्वतन/1240 दिनांक 8–4–2005

(3) कमांक/ निर्वतन काष्ठ/158/3011 दिनांक 1–9–2005

––0––

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करे। जिनके द्वारा बार–बार निर्देश जारी किये गये हैं कि :–

(1) नीलाम के समय वन संरक्षक स्वतः अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें।

(2) काष्ठागारों में नीलाम के समय कथित अनियमितताओं को रोकने के लिये वीडियो रिकार्डिंग उन काष्ठागारों में कराई जाए जहॉ लगातार शिकायतें प्राप्त होती है। इस संबंध में निर्णय संबंधित वन संरक्षक द्वारा लिया जायेगा।साथ ही साथ जहॉ नीलाम के बहिष्कार की संभावना है वहॉ वीडियों रिकार्डिंग आवश्यक रूप से कराई जाए।

(3) नीलाम के समय सम्पूर्ण प्रक्रिया की आडियो रिकार्डिंग की जाए और नीलाम के अन्त में इसे सील बन्द कर वन संरक्षक अपने पास सुरक्षित रखें।

(4) बिडशीट में दूसरे उच्चतम बोली एवं बोलीदार का नाम भी लिखा जाए तथा उसके हस्ताक्षर प्राप्त किये जाए।

(5) किसी विशेष प्रयोजन से किन्हीं लाटों को आरक्षित किया जाना हो तो इसके लिये अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन) से पूर्व अनुमति लेकर ही आरक्षित किया जाए।

कृपया उपरोक्त के अतिरिक्त संदर्भित पत्रों में दिये गये अन्य निर्देशों का विधिवत् पालन करें और वन संरक्षक नीलाम के समय स्वंय उपस्थित होना विशेष रूप से सुनिश्चित करें जिससे वर्तमान में प्राप्त हो रही शिकायतों से बचा जा सके।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (उत्पादन)
मध्यप्रदेश भोपाल